126 IV /18

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 942741

हरिश्चन्द्र विद्या शिक्षा एवं समाज सेवा ट्रस्ट

(Harish Chandra Vidhya Shiksha and Samaj Sewa Trust)

वार्ड– हिन्द नगर

स्टाम्प शुल्क :750

न्यास पत्र–स्मृति पत्र

यह न्यास पत्र/समृति पत्र दिनांक– 24.09.2018 को स्थान लखनऊ, उ0प्र0 में द्वारा श्री संजय कुमार राय पुत्र श्री हरिश्चन्द्र राय, निवासी– राय विला, जेहरा पिपरी, पोस्ट– तेहरी, कप्तानगंज, तहसील–सगड़ी, जिला– आजमगढ़, उ0प्र0 (भारत)

Sanjay kumar Rai

क्रमांक संख्या....................8548
स्टाम्प विक्रय की तिथि....................22/09/2018
स्टाम्प क्रय का प्रयोजन....................ब
स्टाम्प क्रेता का नाम.................... हरिश्चन्द्र विद्या, शिक्षा एवं समाजसेवा ट्रस्ट
व पूरा पता.................... लखनऊ
स्टाम्प की धनराशि....................500

श्रीमती रेखा अग्रवाल स्टाम्प विक्रेता
निबन्धन भवन, लखनऊ
लाइसेन्स नं०:-160
लाइसेन्स अवधि 31-03-2019 तक

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

संजय कुमार राय
Sanjay Kumar Rai
जन्म वर्ष / Year of Birth : 1970
पुरुष / Male

9342 2008 7334

आधार – आम आदमी का अधिकार

Sanjay kumar Rai
8933913333

AADHAAR

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता : S/O हरीश चंद्र राय, सी-303 थर्ड फ्लोर, गुलमर्ग अपार्टमेंट, नियर ऐशबाग रेलवे स्टेशन, राजेंद्रनगर स.ओ, Rajendranagar , लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226004

Address : S/O Harish Chandra Rai, C-303 Third Floor, Gulmarg Apartment, Near Aishbagh Railway Station, Kayam Khera, Moti Nagar, Rajendranagar S.O, Rajendranagar , Lucknow, Uttar Pradesh, 226004

1800 180 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in | P.O. Box No.1947, Bengaluru-560 001

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सरोजनीनगर लखनऊ क्रम 2018367007092

आवेदन संख्या : 201801041010391

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2018-09-24 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम संजय कुमार राय

लेख का प्रकार न्यास पत्र

प्रतिफल की धनराशि 10000 / 0

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 200

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 100

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 300

शुल्क वसूल करने का दिनाँक 2018-09-24 00:00:00

दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश
प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2018-09-24 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

IV - 126/18

9/24/2018 2:07 PM

नगर निगम, लखनऊ

02559

क्रमांक.......................
9157G52041

आवासीय

अनावासीय

कर निर्धारण / नाम परिवर्तन

प्रमाण–पत्र

पूर्वांचल इन्टरप्राइजेज, मेडिसिन्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स

1. श्री / श्रीमती नीलम राय, संजय राय, अनुभव राय.......... के नाम से भवन संख्या B-4/018...... का वार्षिक मूल्यांकन रु0 ....353250......................... दिनांक 01/11/2017....... से निर्धारित कर रजिस्टर में अंकित कर दिया गया है।

2. भवन संख्या .... स्थिति ....में नाम श्री / श्रीमती.. के स्थान पर सेल डीड / वसीयत / उत्तराधिकार / अन्य.. के आधार पर श्री / श्रीमती .... का नाम कर निर्धारण रजिस्टर में दिनांक .... को अंकित कर दिया गया है।

दिनांक ..16.1.18......

कर अधीक्षक,
कर अधीक्षक
जोन-8
जोन.......
कृते नगर निगम, नगर आयुक्त

टिप्पणी :– यह कर निर्धारण / नाम परिवर्तन प्रमाण–पत्र मात्र भवन कर के सम्बन्ध में है। यह स्वामित्व प्रमाण–पत्र नहीं है।

मूल्य रु0 25/–

Sanjay Kumar Rai

LUCKNOW MUNICIPAL CORPORATION (लखनऊ नगर निगम)
HOUSE TAX RECEIPT (गृह कर रसीद)

OWNER COPY

HOUSE NO (भवन संख्या) B-4/018	HOUSE ID (भवन आइडी) 9157G52041	ZONE (जोन) ZONE 8	WARD (वार्ड) RAJA BIJLI PASI (156)	MOHALLA (मोहल्ला) LDA COLONY (SECTOR-O MANSAROVAR YOJNA) (3013)
NAME OF OWNER/OCCUPIER (मकान मालिक का नाम) PURVANCHAL ENTERPRISES MEDICINES DISTRIBUTORS FATHER/HUSBAND NAME (पिता/पति का नाम) CO NEELAM RAI			FINANCIAL YEAR (वित्तीय वर्ष) 2017-18 ANNUAL VALUE (वार्षिक मूल्य) 353250.00	ASSESSMENT DATE 01/11/2017 00:00:00
TAX FOR CURRENT YEAR (चालू वर्ष का कर) 22078.13	ARREAR (बकाया) 0.00	INTEREST (ब्याज) 0.00	TOTAL TAX PAYABLE (कुल देय कर) 22078.13	RECEIVED AMOUNT (प्राप्त रुपया) 22079.00
CURRENT TAX PAID (चालू गृह कर जमा) 22078.13	ARREAR PAID (बकाया जमा) 0.00	INTEREST PAID (ब्याज जमा) 0.00	DISCOUNT (छूट) 0.00	BALANCE (अवशेष धनराशि) 0.000
MODE OF PAYMENT (भुगतान का प्रकार) CHEQUE	CHEQUE/REFERENCE NUMBER (चेक/संदर्भ नंबर) 124736	CHEQUE/REFERENCE DATE (चेक/संदर्भ दिनांक) 16/01/2018		BANK NAME (बैंक का नाम) CANARA BANK
TRANSACTION DATE (प्राप्ति तिथि) 16/01/2018	TRANSACTION NUMBER (प्राप्ति संख्या) G52041/2017-18/CQ/00072461			CASHIER (कैशियर) SUKHRAM PRAJAPATI

Sanjay Kumar Rai

Madhyanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited

(Regd. Office Shakti Bhawan)
(Temp sdo)3126419, UP, CESS I, UP

Printed Date: 01/11/2017

विद्युत आपूर्ति में व्यवधान की स्थिति में लेसा के निम्न टोल फ्री नम्बरों पर शिकायत दर्ज करायें:–
(1) 1800 1800 440 (2) 1912

उक्त के अतिरिक्त निम्न नम्बरों पर भी सम्पर्क स्थापित / जानकारी प्राप्त की जा सकती है :–
कन्ट्रोल रूम - 8005488878 / 9415005765
एस.एम.एस. - 8004944662
वाटस एप - 8005495067

Payment Receipt

Receipt No.	744613053132	Counter No.	31264106
Collection Date	01/11/2017	Counter Name:	Cash Counter Fo CESS-I Division
Account No.	7446130216	Tender Control ID	4582998250
Consumer Name	SMT NEELAM RAI W/O SRI SANJAY KUMAR RAI	Address	B4/18 SEC-O EXTENSIONMANSAROVER YOJNAKANPUR ROAD . Lucknow
Cash	Amount:	14100.00	
Total Amount Received: 14100.00			
Received Amount : Fourteen Thousand One Hundred Rupees And Zero Paisa Only			

Payment Taken By: MDJUNAID user
Receipt Printed By: MDJUNAID user

समय से बिल का भुगतान कर विद्युत विच्छेदन जैसी अप्रिय कार्यवाही से बचें। देय तिथि के एक सप्ताह पश्चात विद्युत लाइन काट दी जा सकती है।

Note: The Payment made by Cheque(s) is subject to Realization. Kindly consider this receipt as "Provisional" till the payment made by cheque(s) is realized

Sanjay kumar Rai

विद्युत उपभोगताओं के लिए आवश्यक सूचना / जानकारी

किसी भी अपरिचित व्यक्ति को अपने घर / दुकान के बिल को जमा करने के लिए न दें वह दलाल प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है या आपका धन हड़प सकता है या आपका चेक किसी अन्य खाते में जमा करा सकता है। लेसा के प्रत्येक कर्मचारी एवं बिलिंग एजेन्सी के कर्मचारी एवं मीटर चेक करने वाली एजेन्सी के कर्मचारी तथा विद्युत विच्छेदन करने वाली टीम के पास परिचय पत्र उपलब्ध रहता है। आवश्यकता अनुसार शंका होने पर अवश्य देखें।
बिल बनाने वाली एजेन्सी केवल चेक प्राप्त करने हेतु अधिकृत है। नगदी का भुगतान न करें, यह अवैध है।
बिल को भुगतान न करने पर 7 दिन बाद संयोजन विच्छेदित कर दिया जाता है। एवं 1 माह पश्चात आर.सी. काटकर तहसील के माध्यम से वसूली की जाती है।
मैकेनिकल मीटर / हयूक मीटर / चाईना मीटर को तुरंत बदला जा रहा है। यदि आपके यहां इस प्रकार का मीटर स्थापित है तो कृपया सूचित करें तथा इसे बदलने में सहयोग करें।
... अवैध रूप से विद्युत चोरी की सूचना टोल फ्री नम्बर 18001800440 पर अवश्य दें, आपका नाम स्वेच्छा पर गोपनीय रखा जायेगा। ऐसा करके आप लेसा ... की मदद करेंगे ... इसके लिए आपको पुरस्कृत भी किया जायेगा।
... की बिल की समस्या के लिए अपने क्षेत्र के अवर अभियन्ता / उपखण्ड अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता से ही मिलें। आपको दलाल प्रवृत्ति के व्यक्ति बिल कराने का झांसा देकर आपको ठग सकते हैं या धन हड़प सकते हैं।

लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन

4-A. गोखले मार्ग, लखनऊ। फोन : 2209342 फैक्स: 2209347 ई–मेल: cgmlesamvvnl@gmail.com

विद्युत उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक सूचना

जानकारी

- सात वाट का एक LED बल्ब उतनी ही रोशनी देता है जितना 15 वाट का CFL, 60 वाट का साधारण बल्ब तो क्यों न आज ही बदल डालें, एक LED लगाने पर एक वर्ष में रू. 300/– की बिजली बचत।
- लेसान्तर्गत समस्त बिलिंग केन्द्रों पर 9 वाट LED मात्र रू. 60/– ट्यूबलाइट 20 वाट मात्र 230 एवम् पंखा 50 वाट मात्र रू 1150/– में उपलब्ध है।
- शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों (राष्ट्रीय खद्यान्न सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय योजना के लाभार्थी, उज्जवला योजना के चयनित लाभार्थी, भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवासीय योजना के लाभार्थी एवं तहसीलदार अथवा जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन प्रमाँण पत्र धारक) को निःशुल्क विद्युत संयोजन प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है। कृपया इसका लाभ उठाये।

प्री- पेड मीटर की सुविधायें

- न तो बिल बनाने का झंझट
- न ही लाइन में खड़े होकर बिल जमा करने की दिक्कत।
- आ गया है प्री-पेड मीटर, एक फेज (चार कि०वा०) तक के लिए रू० 6000/- तथा तीन फेज के लिए रू० 12000/- आवेदन फार्म सभी खण्ड एवं उपखण्ड कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध।
- अब तक कुल 5500 लोगों द्वारा इस सुविधा का लाभ लिया गया। है।
- [illegible] उपभोक्ताओं जिनका अपना निज आवास नहीं है। उनके लिए [illegible] रूप में योजना प्रभावी है।
- इस श्रेणी में 1 कि०वा० का कनेक्शन के लिए रू० 6500/- जमा करें।
- निर्बल लोगों के लिए प्री-पेड मीटर किश्तों में भी उपलब्ध हैं।

हमारी नयी योजनाएं

प्री-पेड मीटर @ 6000 सिंगल फेज
@ 12000 थ्री फेज

Help Line - 1912
लेसा कन्ट्रोल (१)
9415005765
लेसा कन्ट्रोल (२)
8005488878
एस.एम.एस. लेसा
8004944662
व्हाट्सएप सेवा
8005495067
फेसबुक
LESA.Lucknow.
ई–मेल :
Complaintlesa@gmail.com

- विद्युत लाइन के नीचे भवन निर्माण न करायें।
- 10,000/- के ऊपर बकायेदारों के विद्युत संयोजन दृढ़ता से काटे जा रहे हैं।
- जाँच दल को बिल तुरन्त दिखावें। यदि घर में नहीं हैं तो बिल की फोटो कापी मीटर पर चिपका दें। यदि मीटर नहीं लगा है तो तुरन्त लगवाएं।
- [illegible] मीटर, मैकेनिकल मीटर, चाइना मीटर बदलेगा अतः बदलवाने में सहयोग करें।
- घर के अन्दर से मीटर बाहर करने में सहयोग करें। घर के अन्दर मीटर लगा होना अनियमितता है तथा [illegible] करने पर कानूनी कार्यवाही के साथ विच्छेदन किया जा सकता है।
- कम खपत वाले उपभोक्ताओं का मीटर विशेष रूप से चेक किया जाना है अतः सहयोग करें।
- कटिया पकड़े जाने पर विद्युत चोरी के आरोप में कानूनी कार्यवाही की जायेगी जिसमें जेल हो सकती है अतः वैध कनेक्शन तुरन्त लें।
- अपना मोबाईल नं० अवश्य रजिस्टर्ड करायें।

सावधान कृपया ध्यान देवें यदि आपका बिल रू० 10,000/- के ऊपर बाकी है तो आपका संयोजन काटा जा सकता है।

[redacted]

जगदीश प्रसाद यादव
Jagdish Prasad Yadav
जन्म तिथि/ DOB: 20/06/1986
पुरुष / MALE

2190 4426 9903

मेरा आधार, मेरी पहचान

Jagdish prasad yadav
9450868562

[redacted] प्राधिकरण
[redacted] OF INDIA

AADHAAR

पता:
आत्मज: राम फेर यादव, ग्राम समसपुर, पोस्ट बनकट जगदीश, तहसील बूढ़नपुर, भीमाकोल, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश - 276142

Address:
S/O: Ram Pher Yadav, Gram samaspur, Post bankat jagdish, Tahsil budhanpur, Bhimakol, Azamgarh, Uttar Pradesh - 276142

2190 4426 9903

MERA AADHAAR, MERI PEHACHAN

भारत सरकार

Government of India

मनीष कुमार त्रिपाठी

Manish Kumar Tripathi

जन्म तिथि/ DOB: 30/06/1978

पुरुष / MALE

8079 8120 7398

मेरा आधार, मेरी पहचान

मनीष कुमार त्रिपाठी
9919411300

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

आधार

पता:
S/O सुरेश चंद्र त्रिपाठी, १९०, खैरेही पहाड़ गढ़, गर्द अंसिक सालोन, सलोन, राय बरेली,
उत्तर प्रदेश - 229401

Address:
S/O Suresh Chandra Tripathi, 190, KHAIREHNI PAHAR GARDH, GERDH ANSIK SALON, Salon, Rae Bareli,
Uttar Pradesh - 229401

8079 8120 7398

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये | Rs. 100

रु. 100 | ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EK 419572

11 SEP 2018

::2::

संस्थापक है जो कि ट्रस्ट के संस्थापक/अध्यक्ष/न्यासकर्ता/ व्यवस्थापक ट्रस्टी के नाम से जाने जायेंगे।

हमारी यह हार्दिक अभिलाषा है कि मानव समाज में अस्थाई सुख शान्ति संगठन सद्भाव, विशवास गुणों की स्थापना हेतु एक न्यास की स्थापना की जाए तथा उपयुक्त उद्देशों की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त साधनों का संग्रह किया जाए तथा इसके निर्मित प्रारम्भ मुद्रा रुपया 10,000/– (रुपया दस हजार मात्र) केवल संस्थापक ट्रस्टी प्रदान करते हैं जो कि निष्पादनकर्ता आजीवन संस्थापक ट्रस्टी के रूप में कार्यरत रहेंगे। इस विलेख से कोई भी अचल सम्पत्ति सम्बन्धित नहीं है।

Sanjay Kumar Lari

क्रमांक संख्या............ 05549
स्टाम्प विक्रय की तिथि............ 22/09/2018
स्टाम्प क्रय का प्रयोजन............
स्टाम्प क्रेता का नाम............ ✓ हरिश्चन्द्र विद्या, शिक्षा एवं समाजसेवा ट्रस्ट
व पूरा पता............
स्टाम्प की धनराशि............ 100

श्रीमती रेखा अग्रवाल स्टाम्प विक्रेता
निबन्धन भवन, लखनऊ
लाइसेन्स न०:-160
लाइसेन्स अवधि 31-03-2019 तक

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EK 419571

01 SEP 2018

1. ट्रस्ट का नाम	:	हरिश्चन्द्र विद्या शिक्षा एंव समाज सेवा ट्रस्ट **(Harish Chandra Vidhya Shiksha and Samaj Sewa Trust)**
2. (1) न्यास का पंजीकृत कार्यालय	:	बी–4/18, सेक्टर– ओ, एक्सटेन्सन, मानसरोवर योजना, कानपुर रोड, लखनऊ।
(2) न्यास का प्रशासनिक कार्यालय	:	उपरोक्त
(3) न्यास शाखा कार्यालय	:	राय विला, जेहरा पिपरी, पोस्ट– तेहरी, कप्तानगंज, तहसील–सगड़ी, जिला–आजमगढ़, उ0प्र0 (भारत)
3. न्यास का कार्यक्षेत्र	:	न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत/विश्व होगा। इसके न्यास/ट्रस्ट शाखा कार्यालय देश/विदेश के अलग–अलग राज्यों तथा शहरों/गाँवों में स्थापित होंगे।
4. न्यास में ट्रस्टी सदस्यों की संख्या	:	न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच सदस्य होंगे।

Sampyakumari

क्रमांक संख्या........0550
स्टाम्प विक्रय की तिथि........22/09/2018
स्टाम्प क्रय का प्रयोजन........
स्टाम्प क्रेता का नाम........हरिश्चन्द्र विद्या, शिक्षा एवं समाज सेवा ट्र
व पूरा पता........
स्टाम्प की धनराशि........100

श्रीमती रेखा अग्रवाल स्टाम्प विक्रेता
निबंन्धन भवन, लखनऊ
लाइसेन्स नo:-160
लाइसेन्स अवधि 31-03-2019 तक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 640987

5. न्यास का गठन :-

क्र0 सं0	सदस्यों का नाम	पिता का नाम व वर्तमान पता	पदनाम	व्यवसाय
1.	संजय कुमार राय	श्री हरिश्चन्द्र राय, निवासी– रायविला, जेहरा पिपरी, पोस्ट– तेहरी, कप्तानगंज, जिला– आजमगढ़, उ0प्र0 (भारत) व स्थानी पता– बी–4/18, सेक्टर– ओ0, एक्सटेन्सन, मानसरोवर योजना, कानपुर रोड, लखनऊ।	संस्थापक /प्रबन्धक/ अध्यक्ष	व्यापार/समाज सेवक

Sanjay Kumar Rai

क्रमांक संख्या........0551

स्टाम्प विक्रय की तिथि........22/09/2018

स्टाम्प क्रय का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम........

व पूरा पता........

हरिश्चन्द्र विद्या, शिक्षा एवं समाजसेवा सं.

लखनऊ

स्टाम्प की धनराशि........501

श्रीमती रेखा अग्रवाल स्टाम्प विक्रेता

निबन्धन भवन, लखनऊ

लाइसेन्स नः:-169

लाइसेन्स अवधि 31-03-2019 तक

2.	अनुराग राय	श्री संजय कुमार राय, निवासी– रायविला, जेहरा पिपरी, पोस्ट– तेहरी, कप्तानगंज, जिला– आजमगढ़, उ०प्र० (भारत) व स्थानीय पता– बी–4/18, सेक्टर– ओ०, एक्सटेन्सन, मानसरोवर योजना, कानपुर रोड, लखनऊ।	उपाध्यक्ष	समाज सेवक
3.	नीलम राय	पत्नी संजय कुमार राय निवासिनी– रायविला, जेहरा पिपरी, पोस्ट– तेहरी, कप्तानगंज, जिला– आजमगढ़, उ०प्र० (भारत) व स्थानीय पता– बी–4/18, सेक्टर– ओ, एक्सटेन्सन, मानसरोवर योजना, कानपुर रोड, लखनऊ।	सदस्य	समाज सेविका
4.	अनुभव राय	पुत्र श्री संजय कुमार राय, निवासी– रायविला, जेहरा पिपरी, पोस्ट– तेहरी, कप्तानगंज, जिला– आजमगढ़, उ०प्र० (भारत) स्थानीय पता– बी–4/18, सेक्टर– ओ, एक्सटेन्सन, मानसरोवर योजना, कानपुर रोड, लखनऊ।	कोषाध्यक्ष	समाज सेवक

आजीवन न्यासी :–

न्यास के हित में न्यास का संस्थापक/अध्यक्ष समाज के चुनिन्दा व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, जो न्यास के आजीवन सदस्य कहलायेंगे। यह न्यास के आजीवन सदस्य जीवन पर्यन्त बने रहेगें। यह

Sanjay Kumar Rai

न्यासी विधिक रूप से या अन्य कारण से अक्षम होने पर न्यास से सेवानिवृत्त हो सकते हैं। न्यास के आजीवन सदस्यों को न्यास की वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने, भाग लेने व मतदान देने का अधिकार रहेगा तथा न्यास के संचालन में उनका सहयोग रहेगा अतएवं इस न्यास विलेख के निष्पादन के समय निम्नलिखित व्यक्ति न्यास के आजीवन सदस्य रहेगें:-

1. वीरभद्र प्रताप सिंह पुत्र श्री रवीन्द्र नाथ सिंह, निवासी-ग्राम-जेहरा पिपरी, पोस्ट- तेरही, कप्तानगंज, आजमगढ़, उ0प्र0
2. नौमी यादव पुत्र श्री रामफेर यादव, निवासी- ग्राम-समसपुर, पोस्ट-बनकट, जगदीशपुर, आजमगढ़।
3. राजेश शर्मा पुत्र श्री राम आधार शर्मा, निवासी-ग्राम व पोस्ट-बहादुरगंज, जिला- गाजीपुर।
4. श्री पवन कुमार जैन पुत्र राधे श्याम जैन, निवासी- हनुमानपुरी कालोनी, स्टेशन रोड, बहराइच, उ0प्र0
5. श्री संजय कुमार यादव पुत्र श्री राम प्रसाद यादव, निवासी- ग्राम-इब्राहिमपुर, पोस्ट-कबीरुद ्दीनपुर, जिला- आजमगढ़, उ0प्र0
6. श्राम करन चौरसिया पुत्र श्री जोखई राम चौरसिया, निवासी-ग्राम व पोस्ट-सराय मघई, पट्टी प्रतापगढ़, उ0प्र0

<u>प्रबुद्ध न्यासी:-</u>

मूल संस्थापक/अध्यक्ष न्यास के हित में प्रबुद्ध व्यक्तियों को न्यास में रखसकता है। प्रबुद्ध न्यासी वही व्यक्ति हो सकते है जो अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं अथवा न्यास के हित में, समुदाय के हित में तथा राष्ट्र के हित में अपना बहुमूल्य योगदान कर सकते हैं। न्यास इनके सुझावों को यदि उचित समझता है तो उन्हें स्वीकार कर सकता है। अतएवं प्रस्तुत ट्रस्ट विलेख

Sanjay Kumar Yadav

निष्पादन के समय निम्न प्रबुद्ध व्यक्तियों को सदस्य के रूप में निर्धारित किया जा रहा है।

1. श्री रमाकान्त राय पुत्र श्री गौरीराय, निवासी–ग्राम–खीरीडीहा, पोस्ट–तेहरी, कप्तानगंज, आजमगढ़, उ0प्र0
2. श्री राधेश्याम राय पुत्र श्री राम नरेश सिंह, निवासी– ग्राम व पोस्ट–बरडीहा, आजमगढ़, उ0प्र0
3. श्री धर्मचन्द्र राय पुत्र श्री इन्द्रजीत राय, निवासी– ए–12/105–बी, शिवाजी पुरम, निकट सेक्टर–14, इन्दिरा नगर, लखनऊ
4. श्री प्रेमचन्द्र राय पुत्र श्री इन्द्रजीत राय, निवासी–ए–12/105–बी, शिवाजी पुरम, निकट सेक्टर–14, इन्दिरा नगर, लखनऊ

उपर्युक्त समस्त न्यासी न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थापक/अध्यक्ष न्यासकर्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते हैं।

6. <u>न्यास के मुख्य उद्देश्य :–</u>

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य, पूर्ण रूप से प्राणी मात्र के सर्वांगीण विकास एवं बौद्धिक विकास तथा समृद्धि के लिए होगा और न्यास की आय से देश–विदेश में किसी प्रकार की शैक्षिक एवं अन्य संस्थाओं की स्थापना एवं उनका प्रशिक्षण करने में बिना किसी पक्ष–पात के सर्वलोक कल्याणार्थ एवं उसके प्रयासों को सुनिश्चित की जायेगी। इसमें कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रित हो। संस्था के मुख्य उद्देश्य मानव अधिकार, स्वास्थ, कृषि एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार देश–विदेश में करना एवं इसके लिए हर सीाव प्रयास करना। मानव समाज को समृद्ध संगठित, स्वस्थ बनाने तथा अंखड भारत और ग्रामीण विकास हेतु क्षेत्र में परियोजनाओं के क्रियान्वयन और मूल्यांकन में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/निजी संस्थाओं एवं राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय

Sanjaykumbey

संगठनो से सहयोग प्राप्त करना एवं कार्य कार्य क़रना। मिशन स्वर्ण भारत 2020 के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु कार्यों परियोजनाओं को संचालित करना। जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों और उद्देश्यों की पूर्ति करना भी सम्मिलित है।

1. विद्यालय की पंजीकृत ट्रस्ट का समय–समय पर नवींनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होतीं है तो उक्त परिक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगीं।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्त भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

Sanjay Kumar Beri

6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त नियम उक्त क्रम संख्या 1 से 8 में शासन की पूर्वानुमति से बिना कोई परिवर्तन/परिवर्धन, संशोधन नहीं किया जायेगा।

10. यह कि न्यास के अन्तर्गत उच्च स्तर की शिक्षा हेतु भी शैक्षणिक कार्य होंगे।

11. यह कि पूर्व न्यास पत्र दिनांक– 02.05.2012 जो उप निबन्धक कार्यालय प्रथम में बही सं0– 4, जिल्द सं0– 463, पृष्ठ सं– 137 से 200, क्रमांक– 221 पर पंजीकृत है, के समस्त नियम, शर्ते व न्यास के मुख्य उद्देश्य इस न्यास विलेख पर समान रूप से लागू होगें तथा उक्त न्यास विलेख के अन्तर्गत जो भी कार्य किये जा चुके हैं, वह सब समान रूप से इस न्यास विलेख के अधीन मान्य होगें।

हरिश्चन्द्र विद्या शिक्षा एवं समाज सेवा ट्रस्ट

(Harish Chandra Vidhya Shiksha and Samaj Sewa Trust)

<u>नियमावली</u>

1.	**परिभाषाएँ**	:	
(क)	न्यास का नाम	:	**हरिश्चन्द्र विद्या शिक्षा एवं समाज सेवा ट्रस्ट (Harish Chandra Vidhya Shiksha and Samaj Sewa Trust)**
(ख)	न्यास का प्रधान	:	संस्थापक अध्यक्ष/न्यास मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

Sanjay kumari

	ट्रस्टी		होगा।
(ग)	पदाधिकारी/न्यासट्रस्टी	:	उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष एवं दो न्यासी, न्यास के पदाधिकारी होगें।
(घ)	प्रबंध समिति	:	प्रबन्ध समिति में कुल पांच सदस्य होगे जिनमें जिनमें संस्थापक/अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्य होगें इनकी अध्यक्षता संस्थापक/अध्यक्ष न्यास करेगें एवं संस्थापक/अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर इसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगें।
(च)	वित्तीय वर्ष	:	1 अप्रैल से 31 मार्च तक
(छ)	एक्ट	:	ट्रस्ट एक्ट 1882 संशोधित एक्ट के अन्तर्गत
2.	<u>सदस्यता</u>	:	ट्रस्ट की संस्थागत/साधारण सदस्यता के लिए विहित आवेदन प्रपत्र में संगठन के नाम से आवश्यक सदस्यता शुल्क के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा। सदस्यता प्रदान करने के लिए संस्थापक/अध्यक्ष की अनुमति/स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर, किया जा सकेगा। सदस्य निम्नलिखित होगें।
			1. **संस्थागत सदस्य**– कोई भी संस्था जो न्यास के उद्देश्य के लिए गठित की गई है वे प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित रकम अदा कर न्यास के संस्थागत सदस्य बन सकते हैं।
			2. **सदस्य**– कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित रकम अदा कर वे न्यास के सदस्य हो सकते है।
3.	<u>सदस्यता की समाप्ति/विमुक्ति</u>	:	1. स्वयं त्यागपत्र देने पर
			2. सदस्य के पागल होने पर
			3. न्यास के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर
			4. न्यास के नियमों और विनियमों के उल्लघंन करने पर एवं विपरीत आचरण पर
			5. प्रधान ट्रस्टी/प्रबन्ध समिति द्वारा निष्काषित करने पर
4.	<u>संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के अधिकार एवं</u>	:	1. न्यास के उद्देश्य और नियमावली एवं स्मृति पत्र में आवश्यकतानुसार संसोधन समय–समय पर करना।

Sanjay Kumar Rai

	कर्तव्य		
			2. न्यास के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन और प्रबंध समिति गठित करना।
			3. संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को अतिरिक्त सदस्यों को प्रबंध समिति में मनोनित करने का अधिकार होगा एवं उनका कार्यकाल संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।
			4. संस्थापक/अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी न्यास के सर्वोच्च पदाधिकारी होगें।
			5. संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जब चाहे प्रबंध समिति के सदस्य की सदस्यता को रद्द करने तथा उपाध्यक्ष/न्यासी को न्यास से निष्कासित करने का अधिकार होगा और उनकी निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। इस पर काई चुनौती मान्य नहीं किया जा सकेगा।
			6. संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को यह अधिकार हासिल है कि प्रबंध समिति द्वारा पारित किसी भी निर्णय को रद्द बिना कारण बताये कर सकता है।
			7. न्यास का विघटन इस परिस्थिति में नही होगा जब संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के स्वास्थय की वजह से स्वंय त्यागपत्र देने पर संस्थापक/अध्यक्ष के पागल होने पर, लम्बी बीमारी से ग्रसित रहने पर भारत की नागरिकता छोड़ने पर एवं अन्य बात होने पर जो भारत सरकार के नियम के अनुसार मान्य हो, लागू होगा ऐसा होने पर इनके जगह पर इनके परिवार की सहमति से परिवार का कोई बालिग पुरूष या महिला संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी पर मनोनित होगें वहीं इस पद पर बने रहेगें और यह क्रिया हमेशा चलता रहेगा।
			8. न्यास का विघटन न्यास ट्रस्टी/प्रबंध समिति के सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने पर नही हो सकेगा।
			9. संस्थापक सदस्यों की सलाह से समितियां का

			गठन करेगा जो कि अलग–अलग क्षेत्रों में कार्य करेगी।
			10. न्यास की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देना एवं योजना समितियों/प्रबंध समिति के समक्ष स्थापित करना तथा न्यास के विकास हेतु देश–विदेश में प्रतिनिधित्व करना एवं आवश्यक निर्देश देकर न्यास के पदाधिकारी से करवाना। 11. न्यास के संस्थापक/अध्यक्ष न्यास के उद्देश्यों कि पूर्ति हेतु किसी भी राष्ट्रीकृत व प्राईवेट बैंक से ऋण लेने का अधिकार होगा एवं इसके सापेक्ष ट्रस्ट की सम्पत्तियों को ऋण लेने हेतु गिरवीं रखने का भी अधिकार होगा।
			12. आवश्यक कार्य हेतु प्रबंध समिति के संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को बिना प्रबंध समिति को पूर्व सूचना के पांच लाख रूपया तक का खर्च करने का अधिकार प्राप्त है।
			13. न्यास के सभी चल–अचल संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुचारू प्रबंध के लिए उत्तरदायी रहना।
			14. संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह जब चाहे न्यास एवं इसके अन्तर्गत गठित समितियों का विघटन कर सकें।
5.	उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य	:	उपाध्यक्ष न्यास की एकता का प्रतीक होगा और नयास की प्रतिष्ठा, सुरक्षा, पवित्रता और समग्रता का प्रहरी होगा। आमसभा, प्रतिनिधि सभा, असाधारण आम सभा, की बैठक की अध्यक्षता संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी की अनुपस्थिति या अन्य आकस्मिक कारणों से करेगें और किसी प्रस्ताव पर बराबर मतदान की स्थिति में निर्णायक मत देने के अधिकारी होगें। असामान्य स्थिति में न्यास के आवश्यक कार्यों को संपन्न करना। न्यास के नियमों के प्रतिकूल कार्यवाही को रोकना।
6.	कोषाध्यक्ष के कर्तव्य	:	उन समस्त कार्यों को करना जिससे ट्रस्ट की आय में वृद्धि हो सके। ट्रस्ट (न्यास) के समस्त लेखा जोखा एवं कोष से सम्बन्धित सारे दस्तावेजों को अपने पास अध्यक्ष की सहमति से सुरक्षित रखना। कोषाध्यक्ष

			संस्थापक ट्रस्टी के पास कम से कम बैंक के अलावा रू0 5,000/– रखने का अधिकार रहेगा। कोषाध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट हित/उद्देश्य में किये गये संव्यवहार में अध्यक्ष की पुर्वानुमति आवश्यक है।
7.	**प्रबंध समिति का निर्वाचन**	:	प्रबंध समिति का कार्यकाल प्रत्येक पाँच वर्षों पर होगा। प्रबंध समिति का गठन संस्थापक न्यासी के निर्देशानुसार होगा। तीन सदस्य संस्थापक न्यासी के निर्देशानुसार होगा। तीन सदस्य संस्थापक सदस्य से जो न्यास–पत्र में उल्लेखित है एवं शेष चार निर्वाचित सदस्यों में से होगे।
8.	**न्यास का प्रबंधन**	:	न्यास का प्रबंधन संस्थापक/अध्यक्ष सह मुख्य न्यासी द्वारा गठित प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें न्यास के पदाधिकारी सहित एवं दो अन्य निर्वाचित सदस्य होगें प्रबंध समिति एवं दो अन्य निर्वाचित सदस्य होगें प्रबंध समिति का कार्यकाल 5 वर्षो का होगा किन्तु आवश्यकता पड़ने पर या विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी को यह अधिकार होगा कि वे प्रबंध समिति भंग कर नयी प्रबंध समिति गठित कर लें।
9.	**न्यास की आय के स्रोत एवं उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यासी के अधिकार**	:	दान, चंदा, अनुदान, ऋण, सदस्यता शुल्क, सहयोग राशि, धन, संपत्ति, व्यक्ति विशेष, संस्थान स्वैच्छिक संगठन, न्यास और सरकार से चल–अचल संपत्ति प्राप्त करना और जनहित में कार्यहित कार्यक्रम संचालित करना।
10.	**प्रबंध समिति के अधिकार न्यास के संबन्ध में**	:	1. समय–समय पर न्यास की कोष/निधि का उपयोग न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना। 2. न्यास के सम्पत्ति में वृद्धि करने का उपयोग करना और न्यास की निधि की वृद्धि के हेतु न्यास की निधि का उपयोग शेयर, स्टॉक एवं जमा पूंजी में निवेश करना या राष्ट्रीकृत बैंक/डाककर, एच0डी0एफ0सी0/यू0टी0आई0, ए0बी0एन0 एमरो, आई0सी0आई0सी0आई0/इंग वैश्य मल्टीनेशनल बैंक में खाता खोलकर जमा करना। 3. न्यास की उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजीव गांधी फाउंडेशन, राष्ट्रीकृत बैंक, नाबार्ड, विश्व बैंक या एसियन डेवलपमेंट बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय /राष्ट्रीय

Sanjay kumari

			संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्कों या अन्य प्राईवेट एवं पब्लिक संगठनों से दान, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना। 4. न्यास के कोष/निधि का उपयोग अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, प्रबंध एवं तकनीकी संस्थान, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, तकनीकी, प्रशिक्षण केन्द्र, विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना में करना। 5. न्यास के कोष/निधि से अर्जित चल-अचल सम्पत्ति किराये/लीज/पट्टे पर देना। 6. न्यास के नाम से बचत/चालू/आवार्ती जमा/अनवर्ती जमा खाता खोलना और न्यास का कोष संचित करना और खाता का संचालन संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से करना और समय-समय पर संशोधन कर बैंक/डाकघर को सूचित करना। 7. न्यास के प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधि/परामर्शदाता नियमि करना/अधिकृत करना। 8. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्ण कालिन, अंशकालिन, वैतानिक/अवैतानिक व्यक्तियों अधिकारियों कि नियुक्ति/लापरवाही के लिए दंडित करना और नियुक्ति रद्द करना। 9. किसी अन्य न्यास/ट्रस्ट/संगठन/संस्थान के सबंद्ध होना, सबंद्ध करना और उद्देश्य की पूर्ति करना। 10. न्यास के संपत्ति, कोष/निधि सामान्य उद्देश्य वालो संस्थान/स्वैच्छिक, संगठन, न्यास/ट्रस्ट को देना। 11. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार राज्य/जिला/प्रखंड/पंचायत शाखा समिति गठित करना और उद्देश्य के अनुरुप कार्यक्रम संचालित करना और राज्य/केन्द्र सरकार को कार्यक्रम संचालन में सहयोग प्राप्त करना। 12. प्रबंध समिति न्यास के कार्यों को संपादित एवं सूचारु रुप से चलाने में समय-समय पर अलग-अलग समितियों या एक समिति गठित

Sanjay kumar

		करने का अधिकार प्राप्त होगा।
		13. न्यास के आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना और वित्ततीय वर्ष की समाप्ति पर आय–व्यय लेख का अंकेक्षण।
		14. अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
		15. न्यास की ओर से सभी तरह का पत्राचार करना।
		16. न्यास की कार्यो की समीक्षा करना।
		17. न्यासी एवं प्रबंध समिति की बैठक के लिए सूचना देना।
		18. न्यास के लिए अतिरिक्त संस्थान सृजित करना।
		19. आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक मत देना या विपदाग्रस्त परिस्थितियों मे संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। उनके निर्णय को कोई चुनौती नहीं दी जाएगी।
		20. न्यास के सभी कार्य उनके प्रशासनिक निर्णय के अंतर्गत हीं किया जायेगा।
		21. न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की हैसियत से संस्था के दैनिक प्रशासन से सम्बन्धि सभी लेख पत्रो पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोच्य पदाधिकारी होगें तथा सभी मामलो में एक सर्वत्र अधिकारी के अधीन रहकर संस्था का प्रतिनिधित्व करेगें।
		22. न्यास के सभी अभिलेख को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।
		23. न्यास के सभी बैठको का आयोजन करना तथा उपाध्यक्ष के परामश से बैठकों के लिए एजेन्डा/कार्याक्रम बनाना।
		24. न्यास के समस्त आय–व्यय का लेख तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण करना, वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।
		25. बैठक में पारित किये गये पस्तावों के अनुरूप कार्य संपादित करना/अनुपालन करना।
		26. न्यास के कार्यक्रमों, कार्यो के निष्पादन हेतु अधिकारियों/कर्मचायिों की नियुक्ति करना या कार्य मुक्त करना।
		27. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय राज्य/जिला शाखा के कार्यो

			का पर्यावेक्षण करना। 28. न्यास के उद्देशों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आप सभी की स्वींकृति प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना। 29. समान उद्देश्यों की ट्रस्ट, स्वैच्छिक संगठन के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना, संबद्धता प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना। 30. राष्ट्रीय शाखा/राज्य शाख/जिला/प्रखण्ड/पंचायत शाखा हेतु व्यय के लिए धन राशि का ब्यौरा तैयार करना। 31. प्रबंध समिति के प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय न्यास के नियमानुसार करेगीं। 32. किसी सदस्य जिनका चरित्र उद्देश्यों को कुठारघात पहुँचाता हो उसे सदस्यता से वंचित करना/विमुक्त करना। 33. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो भी आवश्यकता एवं हितकर हो उसे करेगीं।
11.	**प्रबन्ध समिति की बैठक**	:	1. साधारण बैठक के लिए कम से कम पन्द्रह दिन असाधारण बैठक के लिए तीन दिन और आपतकालीन बैठक के लिए एक दिन की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। 2. प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने में एक बार होगी तथा अवश्यकतानुसार भी बैठक बुलाई जाएगीं। 3. प्रबंध समिति में कुल सात पदाधिकारियों में से पांच पदाधिकारियों की उपस्थिति को कोरम माना जाएगा। 4. स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगीं। किन्तु प्रथम सूचना के बाहर के किसी विषय पर विचार नहीं हो सकेगा।
12.	**आम सभा**	:	प्रबंध समिति द्वारा निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर वार्षिक आम सभा प्रत्येक वर्ष के अंत में होगी जिसकी पूर्व सूचना कम से कम 30 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जाएगी आम सभा के निम्नलिखित कार्य होगे:–

Sanjay Kumar Soni

			1. पिछली बैठक की कार्यवाही को संतुष्ट करना। 2. वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकृत प्रदान करना। 3. न्यास के कार्यो की समीक्षा करना। 4. अंकेक्षित आय–व्यय का बजट तैयार करना एवं स्वीकृत प्रदान करना। 5. अंकेक्षित की नियुक्ति करना। 6. आगामी वर्ष के लिए आय–व्यय का बजट तैयार करना एवं स्तीकृति प्रदान करना। 7. आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम सुनिश्चत/निर्धारित करना। 8. पूर्व सूचना प्राप्त किसी प्रस्ताव पर संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की अनुमति से विचार करना।
13.	असाधारण बैठक	:	संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के द्वारा तीन दिन पूर्व सूचना पर निम्नाकिंत अवस्था में असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है। 1. आवश्यकतानुसार संस्थापक न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की सलाह पर। 2. कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों के द्वारा बैठक की मांग किये जाने पर। 3. सभा/बैठक का कार्यप्रणाली का नियम, संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के निर्णय के अनुसार होगा और संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दिया जायेगा।
14.	मतदान	:	साधारणतया मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा। किसी असाधारण परिस्थिति में प्रबध समिति की अनुमति लेकर संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा मतदान की भी व्यवस्था हो सकती है।
15.	रिक्त पदों की पूर्ति	:	प्रबंध समिति में कोई भी पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाने पर रिक्त पद शेष कार्याकाल के लिए संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी किसी भी अन्य सदस्य का मनोनयन कर सकते है।
16.	आय का स्रोत	:	न्यास के आय के निम्नलिखित श्रोत होंगे।

Sanjay Kumar

न्यास पत्र

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 300

श्री संजय कुमार राय ,
पुत्र श्री हरिश्चन्द्र राय
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: बी–4/18, सेक्टर– ओ, मानसरोवर योजना, विस्तार, कानपुर रोड, लखनऊ

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 24/09/2018 एवं 01:59:22 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनीत दीक्षित (प्रभारी)
उप निबंधक :सरोजनीनगर
लखनऊ
24/09/2018

राजेश यादव .
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री संजय कुमार राय, पुत्र श्री हरिश्चन्द्र राय

निवासी: बी–4/18, सेक्टर–ओ, मानसरोवर योजना, विस्तार, कानपुर रोड, लखनऊ

व्यवसाय: व्यापार Sanjay Kumar Rai

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री जगदीश प्रसाद यादव, पुत्र श्री रामफेर यादव

निवासी: ग्राम– समसपुर, पोस्ट– बनकट जगदीश, तहसील– बूढ़नपुर, जिला– आजमगढ़, उ०प्र०।

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2 Jagdish Prasad Yadav

श्री मनीष कुमार त्रिपाठी, पुत्र श्री सुरेश चन्द्र त्रिपाठी

निवासी: ग्राम– खैरेहनी पहाड़गढ़, जिला– रायबरेली, उ०प्र०।

व्यवसाय: नौकरी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनीत दीक्षित (प्रभारी)
उप निबंधक : सरोजनीनगर
लखनऊ

ने की। प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :

राजेश यादव .
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

			(क) प्रवेश शुल्क (ख) सदस्यता शुल्क (ग) आजीवन सदस्यता शुल्क (घ) दान एवं चंदा (ड़) अनुदान (च) ऋण (छ) उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से चैरिटी शो के आयोजन से/प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना से। (ज) संबद्धता शुल्क एवं अन्य शुल्क (झ) विघटित संस्थान, संस्था एवं न्यास के कोष की प्राप्ति से तथा जमा कोष से।
17.	ट्रस्ट के अभिलेख	:	ट्रस्ट के समस्त अभिलेख जैसे रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैशबुक आदि संस्थापक ट्रस्टी के पासरहेंगेतथा ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति जैसे कुर्सी मेज अलमारी कार्यालय आदि संस्थापक के पास रहेंगे।
18.	संस्था के कोष	:	न्यास के कोष/रोकड़ का लेखा–जोखा और बैंक पास बुक को सुरक्षित रखने का उत्तर दायित्व संस्थापक/अध्यक्ष न्यास का होगा। अधिक से अधिक रू0 2,00,000/– (रूपया दो लाख मात्र) तक नगद न्यास के कार्यों के लिए संस्थापक/अध्यक्ष न्यास अपने पास रखेगें। परन्तु इससे अधिक धनराशि जमा हो जाने पर डाक घर या अन्य बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से जमा करना संस्थापक/अध्यक्ष न्यास का दायित्व होगा। जमा कोष के रूपये की निकासी संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी के एकल हस्ताक्षर से होगा। इसके साथ–साथ संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी के अनुपस्थिति के समय उपाध्यक्ष न्यासी के अनुपस्थिति के समय उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा उपरोक्त ट्रस्ट के बैंक में जमा धन की निकासी का अधिकार प्राप्त होगा।
19.	अंकेक्षण	:	अंकेक्षण न्यास के आय, व्यय का अंकेक्षण करेंगी तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करेंगे उसकी स्वीकृति प्रबंध समिति की बैठक से प्राप्त कर ली जायेगी एवं जिसे आम सभ में पारित होना अनिवार्य होगा। प्रबंधन जब चाहे न्यास का अंकेक्षण करा सकते हैं जिसका खर्चा न्यास वहन करेंगी।

Sanjay Kumar Tiwari

यह कि उपरोक्त पता अस्थायी है जो भविष्य में परिवर्तित किया जा सकता है तथा ट्रस्ट में किसी भी प्रकार की अचल सम्पत्ति सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त न्यास की घोषणा में न्यासकर्ता/संस्थापक/अध्यक्ष/प्रबंधक निदेशक बमुकाम शहर लखनऊ, उ0प्र0 में आज दिनांक– 24.09.2018 को स्वेच्छापूर्वक, बिना दबाव नाजायज के पूरे होश–हवास मे और स्थिर–चित्त अवस्था में निम्नलिखित साक्षीगण के समक्ष करते है तथा इस न्यास विलेख को हस्ताक्षरित एवं निष्पादित करते है। जो सही है और सनद रहे तथा वक्त जरूरत काम आए।

लखनऊ

दिनांक–24.09.2018

(संजय कुमार राय)
संस्थापक/अध्यक्ष/न्यासी प्रबन्ध निदेशक
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

Sanjay Kumar Rai

अध्यक्ष

गवाहानः–

1. Jagdish Prasad Yadav 9450868562

जगदीश प्रसाद यादव पुत्र श्री रामफेर यादव, नि0– ग्राम– समसपुर, पोस्ट– बनकट जगदीश, तहसील– बूढनपुर, जिला– आजमगढ़, उ0प्र0।
मो0नं0–8299674319
व्यवसाय–नौकरी

2. मनीष कुमार त्रिपाठी

मनीष कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री सुरेश चन्द्र त्रिपाठी, नि0– ग्राम– खैरेहनीं पहाड़गढ़, जिला– रायबरेली, उ0प्र0।
मो0नं0–9919411300
व्यवसाय–नौकरी

टाईप्रकर्ताः

(इकराम हुसैन)

मसविदाकर्ताः

Abhay Adv.

(अभय मिश्रा)
एडवोकेट
हाईकोर्ट, लखनऊ।
मो0नं0– 9452274353

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 5 के पृष्ठ 133 से 170 तक क्रमांक 126 पर दिनाँक 24/09/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनीत दीक्षित (प्रभारी)
उप निबंधक : सरोजनीनगर
लखनऊ
24/09/2018